राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा–सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं. 84/2014 (राजस्व वाद सं. 101/1995)
दायरा तिथि 28.10.2014 (27.06.1995)
निर्णय तिथि 15.07.2016 (31.01.1997)

प्रार्थीगण (वादीगण):–

स्व.वजा पुत्र धनाजी जाति घांची
निवासी खिवान्दी के कायम मुकाम–
अ–हंजाबाई पत्नी वजाजी
ब–भीमाराम पुत्र वजाजी
स–नथाराम पुत्र वजाजी
द–स्व.शांतिलाल पुत्र वजाजी के का.मु.–
क–कमला पत्नी शांतिलालजी
ख–जयंतिलाल पुत्र शांतिलालजी
ग–सुश्री वर्षा पुत्री शांतिलालजी
घ–हरीश पुत्र शांतिलालजी
वादी सं.द(ख), द(ग) व द(घ)
अवयस्क जरिए प्राकृतिक माता
वादी सं. द(क) कमला पत्नी
शांतिलालजी घांची नि.खिवान्दी
य–जवानमल पुत्र वजाजी
र–सीता पुत्री वजाजी पत्नी परकारामजी
तमाम जातिगण घांची
निवासीगण खिवान्दी
ल–लीला पुत्री वजाजी पत्नी मीठालालजी
जाति घांची निवासी खिवान्दी
हाल निवासी साण्डेराव तह.सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण):–

1–स्व.नथीया पुत्र मगाजी घांची
निवासी खिवान्दी के का.मु.–
अ–मोहनलाल पुत्र नथीयाजी
ब–जीवाराम पुत्र नथीयाजी
स–मन्जु पुत्री नथीयाजी पत्नी
नेकारामजी
द–पोशी पुत्री नथीयाजी पत्नी
नेमारामजी तमाम जातिगण घांची
निवासीगण खिवान्दी तह.सुमेरपुर
य–पुष्पा पुत्री नथीयाजी पत्नी
मोहनलालजी जाति घांची
निवासी तखतगढ तह.सुमेरपुर
र–छगु पुत्री नथीयाजी पत्नी
पुरारामजी जाति घांची
निवासी तखतगढ तह.सुमेरपुर
2–स्व.दाना पुत्र मगाजी घांची के का.मु.–
अ–कांतिलाल पुत्र दानाजी
ब–सुरेश पुत्र दानाजी
स–जितेन्द्र पुत्र दानाजी
द–रेखा पुत्री दानाजी
य–रन्जू पुत्री दानाजी
तमाम जातिगण घांची
निवासीगण खिवान्दी तह.सुमेरपुर
र–दरिया पुत्री दानाजी पत्नी मुकेशजी
जाति घांची निवासी खिवान्दी
हाल गोकुलवाडी काम्बेश्वर मार्ग
शिवगंज (सिरोही)
3–चुना पुत्र मगाजी जाति घांची
निवासी खिवान्दी तह.सुमेरपुर
4–स्व.देवा पुत्र मगाजी घांची के का.मु.–
अ–मांगीलाल पुत्र देवाजी
ब–हनुमानराम पुत्र देवाजी
स–तंगलाराम पुत्र देवाजी
तमाम जातिगण घांची
निवाासीगण खिवान्दी तह.सुमेरपुर
द–फउडी पुत्री देवाजी पत्नी
फुलारामजी जाति घांची
निवासी खिवान्दी हाल घांचीयों
का वास सुमेरपुर तह.सुमेरपुर
5–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली राजस्थान

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–20, नियम–3, 8 CPC एवं सपठित धारा 151 CPC
(वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RTAct,1955)

–: नि र्ण य :–

दिनांक 15.07.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा–सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार व उनके अधिवक्तागण उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों द्वारा अर्थात वादीपक्ष–भीमाराम, नथाराम, जवानमल पि.वजाजी व कमलादेवी तथा प्रतिवादीपक्ष–चुना पुत्र मगाजी व मांगीलाल पुत्र देवाजी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे बाद सत्यापन, तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। इसके अलावा प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का खिवान्दी व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली द्वारा वादग्रस्त भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। उपरोक्त मामले में उल्लेखित वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थीगण (वादीगण) ने अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध प्रश्नगत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–20, नियम–3, 8 सपठित धारा 151 CPC में इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खिवान्दी तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 405 रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नं. 406 रकबा 0.61 हेक्टर कुल रकबा 4.37 हेक्टर के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर पाली केम्प बाली द्वारा राजस्व वाद सं. 101/1995 बअनवान वादी–वजा पुत्र धना घांची निवासी खिवान्दी **बनामः** प्रतिवादी–नथिया पुत्र मगा घांची निवासी खिवान्दी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RTAct,1955 में दिनांक 31.01.1997 को वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय/डिक्री पारित किया गया था, जैसा कि आदेश तालिका दिनांक 31.01.1997 से स्पष्ट है, परन्तु प्रश्नगत् मामले में अलग से लिखे गये निर्णय/डिक्री दिनांक 31.01.1997 पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने से सेवनवश रह गये और उक्त पत्रावली निर्णित में मानकर जिला रेकर्ड रूम में जमा करवा दी गई। इसलिए उपरोक्त निर्णित पत्रावली को जिला रेकर्ड रूम पाली से तलब फरमाकर पूर्ववती पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखाये गये निर्णय/डिक्री दिनांक 31.01.1997 के अनुसार हस्ताक्षर करवाकर निर्णय/डिक्री जारी फरमावे। कथित प्रकरण के साथ प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा राजस्व वाद सं. 101/1995 संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि कथित मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रश्नगत् निर्णित पत्रावली राजस्व वाद सं. 101/1995 को जिला रेकर्ड रूम पाली से तलब की गई, साथ ही अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (प्रतिवादी) सं.05 के अलावा सभी अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध बावजूद सम्मन/नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का खिवान्दी व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली की जांच रिपोर्ट से जाहिर है कि मौजा सरहद खिवान्दी के पुराने खसरा नं. 22 रकबा 30)6 बीघा व खसरा नं. 50 रकबा 14)7 बीघा भूमि मगा, देवा पि.धना कौम घांची निवासी खिवान्दी के नाम संयुक्त खातेदारी थी। दिनांक 29.06.1970 को खातेदार मगा व देवा पि.धना द्वारा अपने हिस्से की भूमि खसरा नं. 22 रकबा 30)6 बीघा जरिए रजिस्टर्ड बैचान द्वारा मु. शांतिबेन पत्नी मोहनलाल पुत्र रिकबजी जाति जैन ओसवाल वगैरा को बैचान करने से नामान्तरकरण सं. 150 दर्ज होकर जमाबंदी संवत् 2031–34 के खाता सं. 291 में उक्त खरीदकर्ता के नाम एवं खसरा नं. 50 रकबा 14)7 बीघा भूमि खाता सं. 251 में वजा पुत्र धना कौम घांची के नाम से अलग–2 खातेदारी दर्ज की गई जो सही है, तत्पश्चात् सेटलमेंट कार्यवाही शुरू हुई तब पक्षकारों की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नं. 404, 405, 406 के साथ वादी के पुराने खसरा नं. 50 से बने नये खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर को भी संयुक्त खातेदारी में शामिल कर दिया। इसके साथ ही कथित जांच रिपोर्ट से यह भी जाहिर है किखसरा नं. 404, 405, 406 में किसी प्रकार का वाद–विवाद नहीं है व खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर पर वादी का शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। इसके अलावा पक्षकारों ने प्रस्तुत

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

किए गये राजीनामे में दर्शाया है कि "हम मौजा खिवान्दी खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर के विषय में वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों, इसके लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में प्रस्तुत वाद सं. 101/1995 में उक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत इबारतों से सहमत है तथा इस भूमि की सीमा तक निर्णय के विषय में कोई आपत्ति नहीं। अतः मौजा खिवान्दी खसरा नं. 59 में खातेदार के तौर पर वादीगण "अ" लगाय "ल" का अधिकार घोषित किया जाकर नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावे।"

उपरोक्त प्रश्नगत् मामले से संबंधित राजस्व वाद सं. 101/1995 बअनवान वादी–वजा पुत्र धना घांची निवासी खिवान्दी **बनामः** प्रतिवादी–नथिया पुत्र मगा घांची निवासी खिवान्दी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RTAct,1955 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रारूप निर्णय/डिक्री जिस पर न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली केम्प बाली के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा बाद विश्लेषण इस आशय की विवेचनाए अभिव्यक्त की है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खिवान्दी के गत् खसरा नं. 50 रकबा 14)7 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर भूमि जमाबंदी संवत 2031–34 प्रदर्श–1 के खाता सं. 251 में उभयपक्षकारों के मध्य किए गये विभाजन के पश्चात् उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादी की स्वतंत्र खातेदारी कायम हुई, परन्तु उपरोक्त वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान जमाबंदी संवत 2031–34 प्रदर्श–1 में दर्ज प्रविष्ठि को नजर–अन्दाज करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि को पुनः पक्षकारान की सहखातेदारों में दर्ज कर जमाबंदी प्रदर्श–7 दोषपूर्ण व त्रुटिपूर्ण जारी कर दी और उल्लेखित विश्लेषण के आधार पर पीठासीन अधिकारी ने वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नं. 50 रकबा 14)7 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर है, का वादी–वजा पुत्र धनाजी कौम घांची निवासी खिवान्दी को स्वतंत्र खातेदार घोषित किऐ जाने का निर्णय लिया गया।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित तमाम विश्लेषण एवं आधारित तथ्यों पर हमारी विवेचनाए है कि वादग्रस्त भूमि के बारे में पटवारी हल्का खिवान्दी व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली की तथाकथित जांच रिपोर्ट, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गये राजीनामे की इबारत अनुसार तथा प्रश्नगत् मामले से संबंधित राजस्व वाद सं. 101/1995 बअनवान वादी–वजा पुत्र धना घांची निवासी खिवान्दी **बनामः** प्रतिवादी–नथिया पुत्र मगा घांची निवासी खिवान्दी व अन्य अन्तर्गत धारा 88,53,188 RTAct,1955 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रारूप निर्णय/डिक्री जिस पर न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली केम्प बाली के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, के तहत प्रश्नगत् प्रार्थना पत्र में वर्णित तमाम तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है तथा इस संदर्भित हमारे विधिक विचारों में प्रार्थीगण (वादीगण) का कथित प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत् वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 101/1995 में वर्णित प्रारूप निर्णय/डिक्री (जो हस्ताक्षररहित है) के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिव्यक्त किए गये विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के निष्कर्ष अनुरूप बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विधिक अनुतोष दिलाया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण (वादीगण) का कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–20, नियम–3, 8 CPC एवं सपठित धारा 151 CPC विरूद्ध अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के स्वीकार करते हुए प्रश्नगत् वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 101/1995 में वर्णित प्रारूप निर्णय/डिक्री (जो हस्ताक्षररहित है) के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिव्यक्त किए गये विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के निष्कर्ष अनुसार वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा खिवान्दी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा नं. 50 रकबा 14)7 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 59 रकबा 2.40 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम है, का सभी प्रार्थीगण (वादीगण) को स्वतंत्र रूप से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का खिवान्दी उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 15.07.2016 को राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा–सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner